कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक/ 93 /94/आउशि/बजट/18 भोपाल, दिनांक 16/1/2019

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषय- महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि विद्वानों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में मानदेय भुगतान के संबंध में जानकारी बावत ।

संदर्भः- 1.इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/2360/94/आउशि/बजट/18 दिनांक 19.11.18
2. पत्र क्रमांक/2550/94/आउशि/बजट/18 दिनांक 17.12.18

---0---

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा महाविद्यालयों को अतिथि विद्वान के मानदेय के भुगतान हेतु संबंधित मद 7043 के तीन सेगमेंट (0101, 0102, 0103) के अंतर्गत राशि का आवंटन किया गया था । इसके अनुसार कई महाविद्यालयों को उक्त दोनो आदेशों में पृथक-पृथक सेगमेंट में राशि का आवंटन हुआ है। इससे आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है और कुछ राशि महाविद्यालय के पास संबंधित मद में अनावश्यक रूप से उपलब्ध है ।

2. अतः उक्त स्थिति में निम्नानुसार सूचित किया जाता है किः-

(1) महाविद्यालय के डीडीओ कोड में आवंटित राशि मे से उपयोग करने के बाद किसी भी सेगमेंट में कोई भी राशि शेष बची हो और उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है तो उस राशि को संबंधित मद में तत्काल समर्पित करें ।

(2) जिन महाविद्यालयों द्वारा उनको आवंटित राशि का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है और उसकी आवश्यकता नहीं है तो ऐसी राशि को भी संबंधित मद में तत्काल समर्पित करें अथवा उसका उपयोग करने के पश्चात शेष राशि को समर्पित करने का कष्ट करें।

(3) महाविद्यालय के डीडीओ कोड में अनावश्यक रूप से राशि उपलब्ध होने और उसका उपयोग न करने व समर्पित न करने की स्थिति में संबंधित महाविद्यालय को आगामी राशि आवंटन में विचार क्षेत्र में लिया जाना संभव नहीं होगा ।

3. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही **तीन दिवस** में आवश्यक रूप से पूर्ण करने का कष्ट करें ।

16/1/19

(डॉ.सुषमा दुबे)
संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

निरंतर....2

पृ0क0/ 95 /94/आउशि/बजट/18 भोपाल, दिनांक- 16/11/2019

प्रतिलिपि–

1. डॉ.राकेश श्रीवास्तव,वि.क.अ.(आइ.टी.सेल),कार्या.आयुक्त,उच्च शिक्षा,भोपाल। कृपया पत्र विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश । कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

16/11/19.

संचालक(वित्त)

उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश